फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

श्री कृष्णा शिक्षा शोध संस्थान बनाम रविन्द्र कुमार

मुकदमा नम्बर :– 50/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	26/5/25	प्र.क्र. उप.1 बहस T.I. पूर्व के सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि ख.नं. 1398/5, 1398/6, 1398/7, 1398/10, 1398/11, 1398/12 कुल किता 6 का कुल रकबा 0.96 हे० भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संस्था के नाम दर्ज है प्रार्थी अपनी भूमि पर बीज कायम कर रखी है लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1व2 ने अप्रार्थी सं.3 के अधिनस्थ कर्मचारियों से मिल कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शे के विपरीत नाजायज लाभ लेने की गरज से नक्शे में मनमानी तरमीम करवायी है जिसका अप्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाकर बीज को क्षतिग्रस्त कर बीज निर्माण को उखाड़ने का प्रयास कर रहे है ऐसे में जब तक नक्शे में दुरुस्ती नहीं हो जाती तब तक मौके की यथास्थिति हेतु पाबन्द करते हुए T.I. प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर पुरखों के समय से काबिज काश्त है व खातेदारी भूमि के पुख्ता तरमीम कर रखी है जबकि प्रार्थी ने विवादग्रस्त आराजियात को अन्य खातेदारान से क्रय की है जो संस्था के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वर्तमान में शिक्षण संस्था संचालित है तथा उक्त भाग व पक्की चारदीवारी बना रखी है केवल प्रार्थी पूर्व-विक्रेता से कब्जा प्राप्त किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नक्शा तरमीम दुरुस्ती करवाने का अधिकार नहीं है प्रार्थी ने खरीदशुदा आराजियात का भूरूपान्तरण अकृषि प्रयोजनार्थ करवा रखा है जिससे राजस्व नक्शे में परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का T.I. प्रा.पत्र खारिज किया जावे।	

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

[illegible] बनाम राज्य सरकार

मुकदमा नम्बर :– 50 / 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार चौमूं से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी श्रीकृष्ण शिक्षण शिक्षा एवं शोध संस्थान गोविन्दगढ़ के नाम दर्ज है उक्त ~~के~~ आराजियात शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है ~~संस्थान के~~ एवं मौके पर वर्तमान में शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग व चारदीवारी बनी हुई है बाकी मौके पर खेल मैदान बना हुआ है प्रकरण के तथ्य के मुताबिक खसरा नम्बरों में दुरुस्ती चाही गयी है प्रार्थी द्वारा चाही गयी दुरुस्ती वाली आराजियात का रूपान्तरण होकर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है रूपान्तरण के समय जितनी भूमि रूपान्तरित की जा रही है उसका रूपान्तरण के समय नक्शा बनाया जाता है और उसी अनुरूप रूपान्तरण दर्ज किया जाता है हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण आराजियात का रूपान्तरण हुआ है ऐसी स्थिति में न्यायालय अभिमत है कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता है जिससे अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। व प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति होना भी साबित नहीं होता है ऐसे में प्रार्थी का प्रा.पत्र T.I. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)